रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 25, 1965 (पौष 4, 1887)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 25, 1965 (PAUSA 4, 1887)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 13 दिसम्बर 1965 तक प्रकाशित किए गए थे :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 13th December 1965 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तारीख (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
176	No. 16-ETC(PN)/65, dated 6th December, '65.	Ministry of Commerce.	Export of Handloom fabrics of the variety—commonly known as "BLEEDING MADRAS".
	No. 105-ITC(PN)/65 dated 6th December, '65.		Import of Dates [Sl. No 21(b)/IV] from Iraq—April, 1965—March, 1966.
177	No. 17-ETC(PN)/65, dated 7th December, '65.	Do.	Export of Handloom fabrics of the variety commonly known as "BLEEDING MADRAS".
178	No. 106-ETC(PN)/65 dated 8th December, '65.	Do.	U.S., A.I.D. Programme—Chartering of Ocean Vessels and embargo on certain vessels for transport of A.I.D. financed goods.
179	No. 107-ITC(PN)/65, dated 9th December, '65.	Do.	Import of Ornamental and decorative veneers falling under Sl. No. 42(a) (i)/V during April 1965—March 1965 licensing period.
	No. 108-ITC(PN)/65 dated 9th December, '65.	Do.	Import of Hornbeam Wood [Sr. No. 42(a)(i)/V] for the manufacture of Shuttles and other essential textile accessories during April 1965—March 1966.
180	No. PN(U.K. Licensing)/ 11 of 1965, dated 10th December, 1965.	Do.	Scheme for licensing of cotton textiles for export to the U.K. from India—Quota for 1965.
181	No. 109-ITC(PN)/65, dated 13th December, 1965.	Do.	Import policy for coal-tar Dyes and Dyes Intermediates (Sl. No. 1-B/III). April, 1965—March, 1966.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची
(CONTENTS)

	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	713
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	1091
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	677
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश, और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—

	पृष्ठ (Pages)
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	2027
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं	4057
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	327
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	889
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	467
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	203
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	3483
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	235
पूरक सं० 52—	
18 दिसम्बर 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	1807
27 नवम्बर 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	1817

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	713
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1091
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	677
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2027
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	4057
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	327
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	889
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	467
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	203
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3483
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	235
SUPPLEMENT No. 52—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 18th December 1965	1807
Births and Deaths from Principal disease, in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 27th November 1965	1817

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय

(उद्योग विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 1965

सं० 16(10)/64-ई० आई० (एम०)—भूतपूर्व इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग के इसी संख्याबाले संकल्प, दिनांक 16 अप्रैल 1964 में जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया, 'नामिका में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे' शीर्षक के अन्तर्गत मद संख्या (1) से (13) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :—

अध्यक्ष

1. लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता ।

उपाध्यक्ष

2. श्री सी० ई० कार्गिन, निदेशक,
जेसप एण्ड कं० लि०, कलकत्ता ।

सदस्य

3. श्री जे० एस० माथुर, उप महा-निदेशक,
पूर्ति और निपटान, पूर्ति और निपटान का महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।
4. श्री आर० एम० सम्बमूर्ति,
संयुक्त निदेशक (ट्रैक),
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
5. श्री के० के० मित्र, महानिदेशक,
मे० बी० बी० जे० कान्स्ट्रक्शन कं०,
12-मिशन रो, कलकत्ता ।
6. श्री बी० वी० शाह, चीफ एक्जीक्यूटिव,
मैसर्स आलोक ऐशडाउन कं० लि०, बम्बई ।
7. श्री जी० श्रीरंगचारी,
महाप्रबन्धक,
मैसर्स सदर्न स्ट्रक्चरल्स लि०,
जी० डी० सी० बिल्डिंग,
कैथेड्राल रोड, मद्रास ।
8. श्री एन० कृष्णास्वामी,
औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।
9. श्री एस० एल० सक्सेना,
मे० सेन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०,
भरतपुर ।
10. श्री एफ० वी० बदामी,
विकास अधिकारी, तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।
11. श्री वी० सुब्रह्मण्यम,
प्रमुख विक्रय प्रबन्धक,
हिन्दुस्तान स्टील्स लि० ।
12. श्री ए० एच० सेठना,
विक्रय प्रबन्धक,
टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० ।
13. श्री ए० के० गुप्त,
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं०
कलकत्ता ।
14. श्री एस० एफ० ब्रैगांजा,
प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स,
कान्स्ट्रक्शन लि०, कलकत्ता ।
15. श्री पी० आर० नायक,
उप-सचिव, उद्योग तथा संभरण मंत्रालय (उद्योग विभाग),
नई दिल्ली ।

सदस्य-सचिव

16. श्री ए० सी० चटर्जी,
संयुक्त निदेसक, लोहा और इस्पात
तथा पदेन उप-नियंत्रक, लोहा और इस्पात ।

पी० आर० नायक, उप-सचिव

खाद्य और कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

प्रस्ताव

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 1965

सं० 2-2/65 एफ०ए० एम० ई०—समय-समय पर संशोधित किये गये प्रस्ताव संख्या एफ० 6-16/60-सी० ई०, दिनांक 6 सितम्बर, 1960 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्रों के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा चलाए गए विश्व-स्तरीय भूख से छुटकारा आन्दोलन में भाग लेने हेतु योजना बनाने के लिए एक राष्ट्रीय आन्दोलन समिति और एक प्रबन्ध मण्डल स्थापित किया। यह आन्दोलन जो मूलरूप से 5 वर्ष की अवधि (31 दिसम्बर, 1965 तक) के लिए चलाया गया था यू० एन० डवलपमैन्ट डिकेड के साथ अनुकूल करने हेतु अब और 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। प्राप्त अनुभव और इस आन्दोलन को गैर-सरकारी उद्योग के निकटतम लाने की दृष्टि से भारत सरकार ने राष्ट्रीय आन्दोलन समिति और उसके प्रबन्ध मण्डल का पुनर्निर्माण निम्नलिखित रूप से करने का निर्णय किया है :—

राष्ट्रीय आन्दोलन समिति का गठन

1.	मुख्य संरक्षक .	भारत के राष्ट्रपति
2.	संरक्षक . .	भारत के उप-राष्ट्रपति
3.	अध्यक्ष . .	खाद्य और कृषि मन्त्री
4.	कार्यकारी अध्यक्ष .	कृषि उप-मंत्री

सदस्यगण

1. खाद्य उप-मन्त्री

2—16. कृषि के राज्य मन्त्री

17—29. ग्राम विकास से सम्बन्धित 13 गैर-सरकारी संगठनों की नामजदगी ।

30—35. शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले 6 गैर-सरकारी संगठनों/निकायों की नामजदगी।

36—39. 4 औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संगठनों की नामजदगी।

40—42. 3 प्रैस सूचना संगठनों की नामजदगी।

विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के स्थानीय प्रतिनिधि

43. संयुक्त राष्ट्रों का खाद्य एवं कृषि संगठन।
44. यूनिसेफ।
45. यूनेस्को।
46. विश्व खाद्य कार्यक्रम।
47. राकफेलर फाउन्डेशन।
48. फोर्ड फाउन्डेशन।
49. यू० एस० ऐड।
50. विश्व स्वास्थ्य संगठन।

51—57. व्यक्तिक रूप से सात व्यक्तियों (गैर-सरकारी) की नामजदगी।

58—69. वित्त मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, सहकार तथा सामुदायिक विकास विभाग, योजना आयोग; महानिदेशक, नैशनल कैडट कार्पस; निदेशक, केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलोजीकल अनुसन्धान संस्थान, मैसूर तथा निदेशक, पुष्टाहार अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्ति।

कृषि विभाग के अधिकारी

70—79. सचिव, विशेष सचिव, महानिदेशक, सघन कृषि क्षेत्र, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा संयुक्त सचिव (प्रशासन); कृषि आयुक्त, पशु-पालन आयुक्त तथा विस्तार आयुक्त; तथा अर्थ अंक सलाहकार, तथा उप-सचिव (विदेशी सहायता)।

80. कृषि विभाग से सम्बन्धित उप-मुख्य सूचना अधिकारी।

81. अध्यक्ष कृषि मूल्य आयोग।

कृषि विभाग के उप-सचिव (विदेशी सहायता) तथा लेखा अधिकारी (उर्वरक) क्रमशः सदस्य-सचिव तथा कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

प्रबन्ध मण्डल का गठन

अध्यक्ष

कृषि उप-मन्त्री तथा राष्ट्रीय आन्दोलन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष।

सदस्यगण

1—12. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करनेवाले ग्राम विकास से सम्बन्धित 12 गैर-सरकारी संगठनों की नामजदगी।

13—14. शहरी क्षेत्रों में कार्य करनेवाले 2 गैर-सरकारी संगठनों की नामजदगी।

15—17. 3 औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संगठनों की नामजदगी।

18—19. दो प्रैस संगठनों की नामजदगी।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि

20. संयुक्त राष्ट्रों का खाद्य एवं कृषि संगठन।
21. यूनिसेफ।
22. यूनेस्को।
23. विश्व खाद्य कार्यक्रम।

24—30. 7 व्यक्ति (गैर-सरकारी) व्यक्तिक रूप से नामजद।

31—36. राज्य अभियान समितियों के सचिव (क्रमिक)।

37—43. शिक्षा मन्त्रालय, सामुदायिक विकास तथा खाद्य विभाग, योजना आयोग, आल इंडिया रडियो, महा निदेशक, नैशनल कैडट कार्पस तथा निदेशक, केन्द्रीय खाद्य टैक्नोलोजिकल अनुसन्धान संस्थान, मैसूर।

कृषि विभाग के मनोनीत व्यक्ति

44. सचिव, कृषि विभाग।
45. महानिदेशक, सघन कृषि क्षेत्र।
46. संयुक्त सचिव (प्रशासन)।
47. विस्तार आयुक्त।
48. उप-मुख्य सूचना अधिकारी।
49. अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग।
50. उप-सचिव (विदेशी सहायता)—राष्ट्रीय अभियान समिति तथा प्रबन्ध मण्डल के सदस्य-सचिव।

राष्ट्रीय आन्दोलन समिति तथा उसके प्रबन्ध मण्डल का कार्य करने के लिए विभिन्न संगठनों और अलग-अलग व्यक्तियों का चुनाव राष्ट्रीय आन्दोलन समिति के अध्यक्ष द्वारा उनकी अपनी इच्छानुसार किया जाएगा।

प्रबन्ध मण्डल राष्ट्रीय आन्दोलन समिति के मुख्य कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय आन्दोलन समिति तथा उसका प्रबन्ध मण्डल समय-समय पर जरूरत के अनुसार ऐसी समितियां या उप-समितियां नियुक्त कर सकता है।

राष्ट्रीय आन्दोलन समिति तथा उसका प्रबन्ध मण्डल आवश्यकतानुसार बैठक बुला सकता है और समय-समय पर प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर सकता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति के निजी तथा मिलिटरी सचिवों, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान-मन्त्री सचिवालय, भारत सरकार के समस्त मन्त्रालयों, योजना आयोग, भारत के महा लेखापरीक्षक तथा भूख से छुटकारा आन्दोलन से सम्बन्धित संगठनों को भेजी जाती है।

यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को भारत के गजट में प्रकाशित किया जाये।

(भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्)

संस्ताव

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 1965

सं० 6-7/65 रिआर्ग (सी० सी०)—भारत में कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रसार की स्थिति का पर्यवेक्षण करने के लिये 1959 में नियुक्त किये गए द्वितीय संयुक्त भारत-अमरीकी दल ने यह सिफारिश की थी कि यथेष्ठ समन्वय प्राप्त करने तथा केन्द्रीय कृषि अनुसंधान कार्यक्रम को सुगठित करने के लिये सब केन्द्रीय संस्थाओं तथा जिन्स समितियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पूर्ण तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकार में लाया जाए। इस सिफारिश का पूर्ण समर्थन 1963 में नियुक्त किए गए कृषि अनुसंधान पर्यवेक्षक दल ने भी किया। केन्द्रीय जिन्स समितियों द्वारा पिछले वर्षों में किए गए वास्तविक कार्य की दृष्टि से सरकार ने इन सिफारिशों की जांच की है तथा यह निर्णय किया कि इन समितियों को समाप्त करके इनके अनुसधान कार्य को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के साथ मिला दिया जाए तथा परिषद् का उपयुक्त पुनर्गठन करके इसे अधिक सुदृढ़ किया जाए जिससे कि परिषद् देश की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि के राष्ट्रीय कार्यक्रम का संचालन तथा विकास कर सके। तदनुसार 30 सितम्बर, 1965 को भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति का विघटन किया गया तथा इसके अनुसंधान कार्यों का भार (पटसन अनुसंधान संस्थाओं तथा केन्द्रों के प्रशासनिक अधिकार समेत) 1 अक्तूबर, 1965 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने संभाल लिया।

2. समिति द्वारा किए जाने वाला विकास तथा विपणन कार्य भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। पटसन विकास से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क बनाए रखने तथा उनकी सलाह का लाभ प्राप्त करते रहने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय पटसन विकास परिषद् बनाने का निश्चय किया है। प्रारम्भ में इस विकास परिषद् का गठन इस प्रकार होगा:—

1. **अध्यक्ष** . . श्री दिनेश कुमार सिंह, एम० एल० सी०, कुरसेला अस्टेट, पो० अयोध्यागंज बाज़ार, पूर्निया (बिहार)।

2. **उपाध्यक्ष** . . सचिव, कृषि विभाग, भारत सरकार।

3. **सदस्य** :

(क) **केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि**

(1) निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभाग का एक-एक प्रतिनिधि:—
  (i) पश्चिमी बंगाल
  (ii) असम
  (iii) बिहार
  (iv) उड़ीसा
  (v) मुख्य मंत्री, त्रिपुरा प्रशासन।

(2) योजना आयोग से एक प्रतिनिधि।

(3) कृषि आयुक्त, भारत सरकार।

(4) पटसन आयुक्त, वाणिज्य मंत्रालय।

(ख) **उत्पादकों के प्रतिनिधि**

(1) श्री वासुदेवप्रसाद सिंह, एम० एल० ए०, गांव : झिकटिया, पोस्ट : गुरु बाज़ार, जिला : पूर्निया (बिहार)। (फ्लैट नं० 70, गार्डीनर रोड, पटना।)

(2) श्री योगेश्वर झा, ओल्ड डाक बंगलो रोड, मुरलीगंज, सहरसा (बिहार) (बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सदाकत आश्रम, पटना।)

(3) श्री रघुनाथ मिश्र, मंत्री, दानापुर जूट ग्रोवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट : दानापुर, जिला कटक (उड़ीसा)।

(4) श्री खलील-रहमान, पोस्ट: निसच्याटकोयली कटक (उड़ीसा)।

(5) श्री रवेन्द्र नाथ सेन गुप्त, बी० एग्री० गांव : कामदेवकठी, पोस्ट : कलमूर 24-परगना (प० बंगाल)।

(6) श्री सत्येन्द्रनाथ चौधरी, बी०ए०, बी०टी०, पोस्ट : करीमपुर, जि० नाडिया (प० बंगाल)।

(7) श्री मोहम्मद इज़रायल, एम० एल० ए०, गांव : बरुआ, पोस्ट : बेलदंगा, जि० मुर्शिदाबाद, (प० बंगाल)।

(8) श्री सुबोध चन्द्र मुखर्जी, बी० एस० सी०, गांव : बरगून, पोस्ट : गोबरदंगा, जि० 24-परगना, (प० बंगाल)।

(9) श्री एल० लक्ष्मणदास, बी० काम, एम० एल० ए०, पथापटनम : जि० श्रीकाकुलम, (आन्ध्र प्रदेश)।

(10) श्री महादेव दास, एम० एल० ए०, पोस्ट : बारपेट, जि० कामरूप (असम)।

(11) श्री मुहम्मद उमरुद्दीन, बी० ए०, एम० एल० ए०, बिलासपुर, पोस्ट : डुबरी, जि० गलपारा, (असम)।

(12) श्री मु० इदरीस, एम० एल० ए०, पोस्ट : नोगांग (असम)।

(ग) **व्यापार तथा उद्योगों के प्रतिनिधि**

(1) डा० बी० पी० केड़िया, मार्फत : एन्डरसन राइट लि०, 7, बिलेजली प्लेस, कलकत्ता।

(2) श्री सी० एल० बजुरिया, मार्फत : मैक्लियोड हाऊस, 3, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1।

(3) श्री ए० पी० जैन, मैसर्स : साहू जैन लि०, 11, क्लाइव रोड, कलकत्ता।

(4) श्री आर० पी० गोयनका, मैसर्स : डनकन ब्रदर्स लि०, 31, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1।

(5) श्री एन० के० जालान, मैसर्स : सूरजमल नागरमल, 8-डलहौजी स्क्वायर, ईस्ट कलकत्ता-1।

(6) श्री चम्पालाल वैद्य, मैसर्स : हमीरमल चम्पालाल, 2, राजा उडमन्ट स्ट्रीट, कलकत्ता।

(घ) **अन्य प्रतिनिधि** (1) श्री सतीश चन्द्र समन्ता, एम० पी०, पोस्ट : तामलुक, जिला मिदनापुर, (प० बंगाल) (7, इलैक्ट्रिक लेन, न्यू दिल्ली) ।

(2) श्री फणी गोपाल सेन, एम० पी०, मोहल्ला-भट्टा, पोस्ट और जि० पूरनिया, बिहार (40 नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली) ।

(3) श्री पी० सी० मित्रा, एम० पी०, शरद बाबू स्ट्रीट, रांची (बिहार) (177, नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली) ।

(4) श्री अनिरुद्ध सिन्हा, स्टेशन रोड, पोस्ट : लाहेरिया सराय, दरभंगा, बिहार ।

(5) रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटी, 8, लायन्स रेन्ज, कलकत्ता ।

(च) समय-समय पर सरकार द्वारा मनोनीत किए गए ऐसे अन्य व्यक्ति जोकि परिषद् में उन हितों का प्रतिपादन करेंगे जिनका पूर्व कोई प्रतिनिधि नहीं है ।

4. **सदस्य-सचिव** खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) के वह उप-सचिव अथवा अन्य अधिकारी जो-कि पटसन की फसल के कार्य से सम्बन्धित हैं ।

5. **प्रेक्षक** : (यह लोग परिषद् के सदस्य तो नहीं होंगे परन्तु परिषद् के कार्य में सहायता देने के लिये अनिवार्यतः आमन्त्रित किये जायेंगे) ।

(1) कृषि विपणन सलाहकार, खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय ।

(2) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित वित्त मंत्रालय के सह-सचिव (ज्वाइंट सेक्रेटरी) ।

(3) अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ।

(4) अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम ।

(5) भारतीय रेलों का एक प्रतिनिधि ।

(6) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का एक प्रतिनिधि ।

(7) निदेशक, पटसन कृषि अनुसंधान संस्था, बारेकपुर ।

(8) निदेशक तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला, टालीगंज ।

(9) विशेषाधिकारी (पटसन), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ।

3. यह परिषद् एक सलाहकार संस्था होगी तथा इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे:—

(i) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए पटसन तथा पटसन जैसे रेशों के विकास कार्यक्रमों पर समयानुसार विचार करना ।

(ii) पटसन उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यांकों को दृष्टि में रखते हुए पटसन विकास कार्य की प्रगति का पुनर्विलोकन तथा उस पर विचार करना ।

(iii) पटसन विकास कार्यक्रमों/योजनाओं की, जहां भी आवश्यकता हो, प्रगति तीव्र करने के लिये उपायों की सिफारिश करना ।

(iv) पटसन तथा पटसन जैसे रेशों की किस्म सुधारने के लिए विशेष योजनाओं का सुझाव देना और इस प्रकार मंजूर की गई योजनाओं की प्रगति की जांच करना ।

(v) पटसन के केन्द्र स्थापित करने के लिये पटसन तथा पटसन जैसे रेशों के प्रचलित मूल्य का संवीक्षण करना तथा मूल्यों के स्थिरीकरण के उपायों की सिफारिश करना ।

(vi) उत्पादन केन्द्रों से लेकर विपणन केन्द्र तक पटसन तथा पटसन जैसे रेशों लाने ले जाने का लेखा रखना, तथा यदि आवश्यक हो तो ऐसे सुझाव देना जिससे माल एक जगह रुक न सके ।

(vii) भारत सरकार द्वारा परिषद् को समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।

4. पटसन उत्पादक क्षेत्रों में स्थित, व्यापार तथा उद्योगिक केन्द्रों में परिषद् समय-समय पर अपनी मीटिंग किया करेगी तथा सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें पेश करेगी ।

आदेश

आदेश है कि इस संस्ताव की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ-क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, योजना आयोग, मन्त्रीमण्डल के सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

2. यह भी आदेश है कि यह संस्ताव जनसाधारण की सूचना के लिए भारतीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

बी० शिवारमन, सचिव

शिक्षा मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 1965

(भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग)

सं० एफ० 6-25/63-ए० 10 (सी० 5)—भारत सरकार ने 1919 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की स्थापना एक सलाहकार संस्था के रूप में की थी जिसकी राय जनता में प्रभावपूर्ण होगी और जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में जांच करेगा और अपनी सिफारिश देगा :—

(i) ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अभिलेखों का परिरक्षण, (ii) प्रत्येक श्रेणी के प्रलेखों के सारणीकरण, सूचीकरण और पुनर्मुद्रण के लिए पैमाना और मसविदा तैयार करना, (iii) अभिलेखों के प्रकाशन और उनके अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए अपेक्षित राशि, (iv) प्रलेखों के प्रकाशन के लिए सुयोग्य सम्पादकों का चयन, (v) अभिलेखों तक जनता की पहुंच की

समस्या (शिक्षा विभाग संकल्प सं० 77, 21 मार्च, 1919)/ आयोग के कार्याक्लापों में, भारत की विभिन्न सरकारों तथा देश के विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं के सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने अपने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के 16 सितम्बर, 1941 के संकल्प संख्या एफ० 92-9/41-ई० के जरिए आयोग के गठन में सुधार के लिए कार्रवाई की, जिस में भारत की विभिन्न सरकारों तथा विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की व्यवस्था की गई थी।

2. आयोग ने अपने स्थापित होने से लेकर अब तक 36 अधिवेशन किए हैं और इसकी अनुसंधान और प्रकाशन समिति ने, जो 1942 से कार्य कर रही है, भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण शिक्षा केन्द्रों में 31 बैठकें की हैं और अभिलेखों के संरक्षण और उपयोग में जनता की रुचि बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार यह मानती है कि यह आयोग और उसकी विभिन्न समितियों के कार्याक्लापों का ही परिणाम है कि सूचना के बहुत से नये स्रोतों का पता लगाया जा सका है और आगामी पीढ़ियों तक बचाया जा सका है। बहुत से प्रलेखों के संग्रह को प्रकाशित किया जा सका है और उन्हें विद्वानों को उपलब्ध कराया गया, अभिलेखों के इस्तेमाल के लिए सुविधाओं का वास्तव में काफी विस्तार किया गया और ऐतिहासिक साक्ष्य की पावनता के सम्बन्ध में जनता के मस्तिष्क में एक नई चेतना जाग्रत की गई है। आयोग की इन तथा अन्य उपलब्धियों की यद्यपि सरकार बहुत सराहना करती है किन्तु साथ ही उसका विचार है कि अभी बहुत कुछ कार्य करना बाकी है और बहुत-सी महत्वपूर्ण समस्याओं को अभी हल किया जाना है। बहुत से अभिलेख-संग्रहों की व्यापक विवरणात्मक सूचियों की तो बात ही क्या अभी इनके मार्गदर्शक अथवा कुंजियां भी तैयार नहीं हुई हैं और बहुत ही कम संग्रहालयों ने, चाहे वे सार्वजनिक हों अथवा प्राइवेट, प्रलेख-प्रकाशन का एक सु-सन्धिबद्ध कार्यक्रम अभी विकसित किया है। अधिकतर संग्रह अभी भी पुरानी हालत में रखे हुए हैं और कीड़े-मकोड़े, फफूंदी तथा अन्य विध्वंसक जीव-जन्तु उन्हें बरबाद करते रहते हैं। प्राइवेट संरक्षण में जो अभिलेख हैं और विशेषरूप से संस्थाओं संबंधी, धार्मिक अथवा व्यापारिक महत्व के अभिलेखों के उपयोग और उनके सर्वेक्षण, विवेचना, अथवा संयोजन के बारे में बहुत कम व्यवस्थित प्रयत्न किए गए हैं। प्रशिक्षित पुराभिलेखपाल की कमी देश में पुरातत्वीय कार्य में एक गम्भीर बाधा बनी हुई है और राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाएं, पुरातत्वीय अभिलेखों के मालिकों में पर्याप्त अनुकूल प्रतिक्रिया पैदा करने में समर्थ नहीं हुई हैं। सरकार का विश्वास है कि राष्ट्र के शैक्षणिक जीवन में ये बहुत गम्भीर खामियां हैं और एक ओर तो अभिलेखों और ऐतिहासिक सामग्रियों के अभिरक्षकों तथा दूसरी ओर उनके प्रयोगकर्त्ताओं के बीच और अधिक तथा सद्भावपूर्ण सहयोग ही ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए इन खामियों को दुर किया जा सकता है।

3. ऐसे सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के 28 अगस्त, 1957 के संकल्प एफ० 8-2/57-सी० 2 तथा इस विषय पर सभी पहले संकल्पों को रद्द करते हुए निम्नांकितों के अनुसार आयोग के पुनर्गठन की सहर्ष स्वीकृति देती है :—

I. भविष्य में आयोग के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

क—**सामान्य सदस्य :**

(1) शिक्षा मंत्री, भारत सरकार .. **पदेन अध्यक्ष**

(2) शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

(3) तीन प्रमुख इतिहासकार अथवा अभिलेखपाल जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अभिलेखों के अभिरक्षण के उनके विशिष्ट ज्ञान अथवा भारतीय इतिहास के आधुनिक काल में उनके मूल योगदान के आधार पर की गई हो।

(4) निदेशक, अभिलेखागार, भारत सरकार — **पदेन सचिव**

(5) राज्य सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि, जिनका अपना व्यवस्थित अभिलेख संग्रहालय हो, नामजद व्यक्ति राज्य अभिलेखागार का अभिरक्षक ही होना चाहिए।

(6) भारत के ऐसे विश्वविद्यालयों का एक-एक प्रतिनिधि, जिनमें इतिहास के अपने-अपने संकाय हों, और जो मूल अभिलेखों में अनुसंधान-कार्य को प्रोत्साहित तथा उनका प्रकाशन कर सकते हों और अपने अभिलेखों के संयोजन तथा निजी व अर्ध-सार्वजनिक संरक्षण वाले अभिलेखों की जांच और सर्वेक्षण में आयोग से सहयोग कर सकते हों।

(7) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी शिक्षण संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं अथवा संग्रहालयों का एक-एक प्रतिनिधि जिनके अपने अभिलेख हों अथवा जो ऐसे अभिलेखों के मूल अनुसंधान में सक्रिय रूप से लगी हों और जो निजी व अर्ध-सार्वजनिक संरक्षण में अभिलेखों की जांच और सर्वेक्षण में तथा आयोग द्वारा संचालित अभिलेखीय कार्यक्रम को बढ़ावा देने में आयोग से सहयोग कर सकती हों।

ख—**संवादी सदस्य :**

इस वर्ग के सदस्यों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो अभिलेखों में सक्रिय रुचि लेते हों। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे विषय पर अच्छी किस्म की प्रकाशित रचनाओं को ही पर्याप्त सबूत माना जाएगा। इनकी संख्या बीस से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसमें भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्तियों की संख्या शामिल नहीं है।

भारत सरकार की इच्छा है कि राज्य सरकारों के प्रतिनिधि अभिलेखों तथा अभिलेख संबंधी तकनीकों से भली-भांति परिचित होने चाहिए और विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य अनुसंधान संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रतिष्ठित शिक्षाविद होने चाहिए और उन्होंने 1500 ईसवी के बाद की अवधि के भारत के इतिहास के संबंध में पर्याप्त मूल अनुसंधान का कार्य किया हो। भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से उनका नामांकन अनुमोदित होने पर इन सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि तकनीकी रूप में आयोग के सदस्य बन जाएंगे। संवादी सदस्य भारत सरकार द्वारा चुने और नियुक्त किए जाएंगे।

पदेन सामान्य सदस्यों के अलावा आयोग के अन्य सामान्य सदस्य तथा सभी संवादी सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए इस प्रकार नियुक्त किए जाएंगे :—

(1) सभी नियुक्तियां और पुनर्नियुक्तियां पांच वर्ष की पूरी अवधि के लिए एक ही तारीख से एक साथ की जाएंगी किन्तु अवधि समाप्त होने पर संबंधित सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

(2) पांच वर्ष की अवधि के दौरान त्यागपत्र अथवा अन्य प्रकार से रिक्त होने वाले पदों पर पांच वर्ष की पूरी अवधि के लिए नियुक्ति नहीं की जाएगी, बल्कि केवल अवधि के शेष भाग के लिए ही की जाएगी।

II. आयोग के कार्यकलापों का क्षेत्र निम्नलिखित तक सीमित होगा :—

1. अभिलेखों और ऐतिहासिक प्रलेखों के संरक्षकों और प्रयोगकर्त्ताओं अभिलेखों के परिरक्षण, संरक्षण तथा उपयोगों से संबंधित विचारों और अनुभवों के बीच आदान-प्रदान और सरकारी

और गैर-सरकारी उपयुक्त निकायों को इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना।

2. जिन ऐतिहासिक समस्याओं की जांच की आवश्यकता हो, उनसे संबंधित अभिलेखों और विशेषकर उन अभिलेखों पर जिन पर थोड़ा अथवा बिल्कुल भी कार्य नहीं हुआ है; और इसकी वार्षिक अथवा अन्य बैठकों में ऐसे विचार-विमर्शों को प्रोत्साहन देने के लिए सेमिनारों का आयोजन करने; और राजनयिक मुद्रा-विज्ञान, पुरा-विज्ञान, स्थलाकृतिविज्ञान, वंशावली चिह्नों का ज्ञान जैसे अभिलेखों के उप-विषयों पर विचार-विमर्श करने को बढ़ावा देने के लिए एक मंच का कार्य करना।

3. विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, विद्वत संस्थाओं और विशेषकर राज्य क्षेत्रीय सर्वेक्षण समितियों और ऐसे ही स्थानीय निकायों के सहयोग से प्राइवेट तथा अर्ध-सार्वजनिक संरक्षण से सामग्री को निकालने और उसका प्रयोग करने को प्रोत्साहन करना; तथा इस क्षेत्र में किए गए कार्य में संबंधित सूचना के वितरण-केन्द्र के रूप में कार्य करना।

4. अभिलेख और ऐतिहासिक पाण्डुलिपि संग्रहालयों तथा अनुसंधान में दिलचस्पी रखने वाले निकायों के बीच सामान्य तौर पर मध्यस्थ का कार्य करना।

5. इसके कार्यकलापों और उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाले अन्य मामलों की रिपोर्टों को सम्मिलित करते हुए बुलेटिनों तथा कार्य-वाहियों को प्रकाशित करना।

III. आम तौर पर आयोग की बैठक वर्ष में एक बार होगी और इस बैठक के लिए उस स्थान को चुना जाएगा, जहां अभिलेखीय सामग्री प्रचुर मात्रा में हो। प्रत्येक सत्र में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए :—

(1) देश में अभिलेखीय कार्य पर सचिव द्वारा पेश रिपोर्ट और जो अभिलेखीय तथा अनुसंधान कार्यकलापों अथवा नई खोज की गई स्रोत सामग्री पर आयोग के सदस्यों द्वारा पेश की गई ऐसी अन्य रिपोर्टों पर विचार करने के लिए सार्वजनिक बैठक।

(2) अभिलेखों के रख-रखाव और उपयोग करने से संबंधित ऐसी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए, जो सदस्यों द्वारा इसे भेजी जाए तथा इसके तत्वावधान में विभिन्न निकायों द्वारा हाथ में लिए हुए कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करने के लिए, एक कारोबारी बैठक का आयोजन।

(3) एक या एक से अधिक चुनी हुई ऐसी ऐतिहासिक समस्याओं जिनकी जांच की आवश्यकता हो, अथवा अन्य किसी अनुसंगी मामलों की स्रोत सामग्रियों पर विचार विनिमय के लिए बैठकें अथवा सेमिनार आयोजित करना। आयोग को ऐसे विचार-विमर्शों के लिए विषयों का चुनाव कम से कम एक वर्ष पहले कर लेना चाहिए, ताकि सदस्य इनके संबंध में अपने पेपर समय पर पेश कर सकें।

इन कर्त्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन करने के लिए, आयोग, ऐसी किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए, जिसकी जांच की आवश्यकता हो, एक या दो समितियां चुन सकता है। ऐसी समितियां अपनी रिपोर्ट आयोग को पेश करेंगी।

आयोग के सभी सदस्य, आयोग की कारोबारी बैठकों के अतिरिक्त, आयोग की बाकी सभी बैठकों में समान रूप से भाग ले सकते हैं। कारोबारी बैठकों में केवल सामान्य सदस्य ही भाग ले सकते हैं। संवादी सदस्य कारोबारी बैठकों में केवल विशेष निमंत्रण पर ही भाग ले सकते हैं।

आयोग की बैठकों की अध्यक्षता, पदेन अध्यक्ष करेगा। किन्तु उसे अपनी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने के लिए किसी प्रवर सदस्य को नामजद करने का अधिकार होगा।

IV. आयोग के पदेन अध्यक्ष और सचिव तथा भारत सरकार द्वारा नामजद व्यक्तियों [उपर्युक्त पैराग्राफ 3.1 (क) में उल्लिखित] के यात्रा-भत्ते का खर्च केन्द्रीय राजस्व से दिया जाएगा। यदि पदेन अध्यक्ष और सचिव, तथा भारत सरकार द्वारा ऐसे नामजद व्यक्ति [उपर्युक्त पैराग्राफ 3.1 (क) में उल्लिखित] और समिति के ऐसे सदस्य सरकारी कर्मचारी हों, तो वे आयोग अथवा इसकी समितियों में भाग लेने के लिए अपने यात्रा-भत्ते, दौरों पर होने के समान प्राप्त करेंगे और इसका खर्च उनके वेतन के शीर्ष के नाम ही डाला जाएगा।

सामान्य सदस्य के रूप में भारत सरकार द्वारा नियुक्त गैर-सरकारी व्यक्ति [पैराग्राफ 3.1 (क) देखिए] आयोग अथवा इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए अपने यात्रा-भत्ते, केन्द्रीय सरकार के प्रथम ग्रेड के अधिकारियों के लिए अनुमत्य दरों पर प्राप्त करेंगे और दैनिक भत्ते, केन्द्रीय सरकार के प्रथम ग्रेड के अधिकारियों के लिए अलग-अलग स्थानों के लिए अनुमत्य उच्चतम दरों पर प्राप्त करेंगे। यह खर्च भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बजट में से किया जाएगा। संवादी सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को बैठकों में भाग लेने के लिए कोई यात्रा-भत्ता आदि नहीं मिलेगा। राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य सम्बद्ध संस्थाओं को अपने नामजद व्यक्तियों के यात्रा-भत्तों का खर्च स्वयं वहन करना पड़ेगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद व्यक्तियों के अतिरिक्त, गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता, जो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की किसी समिति में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं, उसी दर से दिया जाएगा, जो गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा सामान्य सदस्य नियुक्त करने पर दिया जाता है [उपर्युक्त पैराग्राफ 3.1 (क)]।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, सभी संघीय प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों, मंत्रिमण्डल सचिवालय; प्रधान मंत्री सचिवालय; संसदीय कार्य विभाग; उच्चतम न्यायालय; संसद् सचिवालय, आयोजना आयोग; सभी विश्वविद्यालयों; भारत के राष्ट्रीय अभिलेख के अभिलेख निदेशक और भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के सचिव को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

टी० एस० कृष्णमूर्ति, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 1965

सं० एफ० 11-11/65-सी० I—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 11-11/65 सी० I, दिनांक पहली अगस्त, 1965 में आंशिक संशोधन करते हुए, पुरातत्व तथा संग्रहालय उदयपुर के स्थानापन्न-अधीक्षक—श्री दुर्गालाल माथुर को श्री आर० सी० अग्रवाल के स्थान में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय सलाहकार पुरातत्व बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है।

शारदा राव (श्रीमती), सहायक शिक्षा सलाहकार

पुनर्वास मंत्रालय

प्रस्ताव

नई दिल्ली-11, दिनांक 8 दिसम्बर 1965

विषय:—विस्थापित व्यक्ति सहायता तथा कल्याण निधि—संस्थापन

सं० 4(3)/65 जे० एण्ड के० आर०—पाकिस्तान से आये विस्थापित जो संकट में हैं तथा जिन्हें निर्वाह, चिकित्सा उपचार, तथा शिक्षा आदि के लिये वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, उनसे बार-बार पुनर्वास मंत्रालय में इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते रहे हैं। ऐसी ही प्रार्थनायें, हाल ही में हुए पाकिस्तान के साथ संघर्ष के फलस्वरूप सीमा क्षेत्रों से आये विस्थापितों से प्राप्त हो रही हैं। इनमें से बहुत-से मामलों में प्रार्थी सहायता के पात्र होते हैं किन्तु कभी-कभी सरकारी निधि में से ऐसी सहायता देना संभव नहीं होता। इसलिये यह निर्णय किया गया है कि एक निधि बनाई जाए जिसे "विस्थापित व्यक्ति सहायता तथा कल्याण निधि" कहा जायेगा और यह जनता द्वारा दिये गये दान में से बनाया जायेगा।

यह निधि, पाकिस्तान से आये विस्थापित, विदेशी देशों से लौटने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति तथा भारतीय राष्ट्रिक, जो हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के फलस्वरूप बेघर हुए हैं' इनकी आवश्यकताओं का प्रबन्ध करेगा। इस निधि की सेवायें भविष्य में भी इस प्रकार के व्यक्तियों को दी जायेंगी। (Trustees) के एक बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. पुनर्वास मंत्री
2. उप पुनर्वास मंत्री
3. सचिव, पुनर्वास मंत्रालय
4. अपर सचिव, पुनर्वास मंत्रालय
5. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (पुनर्वास)

जनता से दान धन्यवाद सहित स्वीकार किया जायेगा।

विस्थापित व्यक्ति सहायता तथा कल्याण निधि के नाम से भारतीय सरकारी बैंक (State Bank of India) में एक चालू लेखा खोल दिया गया है। लेखे का परिचालन पुनर्वास मंत्री के हस्ताक्षरों द्वारा या पुनर्वास मंत्रालय के किसी विशेष अधिकारी के हस्ताक्षरों द्वारा होगा जिसे विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिये नामित किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव की प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों को भेजी जाये।

आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव की प्रतिलिपि सामान्य जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाये।

के० पी० मथरानी, सचिव

DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY

RESOLUTION

New Delhi, the 8th December 1965

No. 16/10/65-*SCT.II.*—The Government of India have appointed Shri S. M. Siddiah, M.P. as a member of the Committee on Untouchability, Education and Economic Uplift of Scheduled Castes constituted *vide* this Department's Resolution No. 14/5/64-SCT.II, dated the 27th April 1965. This is in addition to the seven members of the committee already appointed.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. C. SEN GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs and Insurance)

New Delhi-1, *the 14th December* 1965

ORDER

No. 51/1/65-*CL.II.*—The following order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Company Affairs & Insurance) No. CLB/DII/JNSP/4 dated the 16th November 1965, as amended by that Government Order No. 51/1/65-CL.II dated the 8th December 1965, is hereby published for general information.

"In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorises the undermentioned officers of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Company Affairs & Insurance) for the purposes of said section 209 :—

1. Shri R. M. Bhandari, Director of Inspection, New Delhi.
2. Shri S. Rajagopalan, Joint Director, Inspection, New Delhi.
3. Shri S. C. Bafna, Joint Director, Inspection, Bombay.
4. Shri P. K. Mallik, Joint Director, Inspection, Calcutta.
5. Shri C. R. Mehta, Inspecting Officer, New Delhi.
6. Shri M. L. Sah, Asstt. Inspecting Officer, New Delhi.
7. Shri V. S. Galgali, Asstt. Inspecting Officer, Bombay.
8. Shri K. K. Dhar, Senior Technical Assistant, Calcutta.

G. R. BAL, Jt. Secy.

L381GI/65

(Company Law Board)

New Delhi, the 16th December 1965

No. 6(2)/65-*CS*—The following candidates have passed the Preliminary, Intermediate and Final Examinations of Company Secretaries held by this Board in October, 1965.

(Roll Numbers are within Brackets)

Preliminary

1. Shri K. K. Mathew (33).
2. Shri K. Sreedhar (37).
3. Shri V. S. Jayaraman (38).
4. Shri N. V. Dheenadhayal (66).
5. Shri A. Kalyanaraman (87).

Intermediate (Group 1 only)

1. Shri K. V. Shah (22).
2. Shri H. P. Krishnamurthy (39).
3. Shri B. Venugopal (40).
4. Shri C. Subramanian (84).
5. Shri S. L. Karpe (99).
6. Shri B. H. Bharucha (100).
7. Shri S. K. Acharya (107).
8. Shri G. S. Saboo (108).
9. Shri R. V. Gokhale (117).
10. Shri H. S. Doshi (119).
11. Shri R. Ananthakrishnan (147).
12. Shri R. R. Karandikar (234).
13. Shri I. C. Surana (239).
14. Shri B. L. Somani (254).
15. Shri V. H. Doshi (260).
16. Shri Nandlall Mandhana (262).
17. Shri S. P. Sanghavi (294).
18. Shri A. C. Mukherjee (358).
19. Shri S. Kannan (359).
20. Shri A. K. Biswas (371).
21. Shri S. N. Mishra (385).
22. Shri N. B. Rao (396).
23. Shri C. P. Chatterjee (404).
24. Shri U. Chakraberti (460).
25. Shri S. K. Choudhury (488).
26. Shri Harbans Lal (556).
27. Shri Gopal Krishan (598).
28. Shri A. K. Narasimhan (601).
29. Shri Joginder Singh (612).
30. Shri S. C. Singhal (613).
31. Shri K. K. Chawla (616).
32. Shri Ashok Kumar Kakkar (624).
33. Shri V. K. Aggarwal (625).

34. Shri O. P. Singal (632).
35. Shri S. N. Verma (651).
36. Shri S. S. Sandhu (671).
37. Shri V. R. Venkataraman (674).
38. Shri G. K. Buttan (682).
39. Shri N. K. Jain (861).
40. Shri S. K. Aggarwal (886).
41. Shri B. S. Shekhawat (898).
42. Shri S. S. Parhar (911).
43. Shri B. K. Mehra (955).
44. Shri Des Raj Kundra (957).
45. Shri U. Suryanarayana (1015).
46. Shri P. S. S. Ramamurty (1048).
47. Shri R. P. Sharma (1084).
48. Shri S. R. Garg (1085).
49. Shri R. L. Inani (1088).
50. Shri C. P. Agarwal (1103).
51. Shri B. L. Baheti (1104).
52. Shri B. L. Gugar (1106).
53. Shri P. D. Goyal (1112).
54. Shri S. C. Dupta (1122).
55. Shri J. Jayaraman (1130).
56. Shri S. D. Nigam (1136).
57. Shri N. Narayanasamy (1164).
58. Shri S. Viswa Nathan (1174).
59. Shri S. Sitaraman (1177).
60. Shri K. Kannan (1187).
61. Shri M. R. Soundararajan (1190).
62. Shri V. S. Desikan (1257).
63. Shri R. Padmagirisan (1263).
64. Shri T. R. Ramaswami (1271).
65. Shri T. Venkatasubramanian (1273).
66. Shri S. Narayanan (1291).
67. Shri R. Narayanaswami (1296).
68. Shri V. Sridharan (1297).
69. Shri T. N. C. Veeraraghavan (1301).
70. Shri Gopal Sharan Sharma (1312).
71. Shri Tapan Karan Singh (1318).
72. Shri B. Jha (1320).

Intermediate (Group II only)

1. Miss A. G. Dholabhai (25).
2. Shri C. S. Tarukhia (26).
3. Shri K. S. Srinivasa Iyengar (52).
4. Shri H. S. Mohan Kumar (54).
5. Shri P. M. Subramanyam (56).
6. Shri M. S. Ramachandra (86).
7. Shri R. Radhakirshnan (163).
8. Shri S. N. Bhat (167).
9. Shri S. Y. Nimkar (176).
10. Shri T. M. Lalani (194).
11. Shri S. M. Weling (197).
12. Shri G. D. Bhagat (198).
13. Shri K. M. Desai (199).
14. Shri Bhagwan Sahai (216).
15. Shri B. L. Roongta (219).
16. Shri V. Narayanan (226).
17. Shri N. S. R. Hariharan (270).
18. Shri K. E. Chesson (273).
19. Shri C. D. Paranjpe (283).
20. Shri G. P. Gupte (303).
21. Shri R. G. Shah (329).
22. Shri J. T. Shah (406).
23. Shri B. K. Basu (407).
24. Shri G. D. Sharma (408).
25. Shri R. A. Sharda (416).
26. Shri A. K. Chatterjee (417).
27. Shri Sushil Kumar Jain (422).
28. Shri A. K. Mukherjee (431).
29. Shri N. Gopalkrishnan (437).
30. Shri S. D. Basu (463).
31. Shri A. K. Basu (485).
32. Shri B. D. G. Raghavan (491).
33. Shri M. N. Choudhury (505).
34. Shri T. N. Sundaram (510).
35. Shri E. S. Ganesh (518).
36. Shri S. K. Bose (699).
37. Shri S. K. Varma (709).
38. Shri C. Rangan (713).
39. Shri N. Gopalsamy (717).
40. Shri Shyam Amledi (718).
41. Shri V. Krishnan (719).
42. Shri B. T. Kulkarni (720).
43. Shri K. K. Arora (721).
44. Shri Y. V. Subba Rao (725).
45. Shri J. L. Arora (726).
46. Shri R. C. Chawla (727).
47. Shri R. C. Baluja (731).
48. Shri Sooraj Kapoor (737).
49. Shri Satish Prakash (735).
50. Shri N. K. Kalsi (741).
51. Shri O. P. Jain (743).
52. Shri V. Ramamurthy (753).
53. Shri K. L. Thukral (754).
54. Shri T. P. Joseph (763).
55. Shri H. R. Singal (766).
56. Shri N. Gopalakrishnan (770).
57. Shri R. K. Pandey (771).
58. Shri S. A. Iyer (772).
59. Shri Vidya Bhaskar (773).
60. Shri J. N. Kapur (779).
61. Shri J. N. Nagarajan (783).
62. Shri M. M. Rehani (783).
63. Shri T. B. Sitaraman (789).
64. Shri Viney Kumar (790).
65. Shri D. Jambunathan (795).
66. Shri S. Rajagopalan (798).
67. Shri J. K. Shah (802).
68. Shri O. P. Arora (805).
69. Shri S. K. Kochar (812).
70. Shri S. V. Raghavan (820).
71. Shri J. Mahajan (821).
72. Shri K. Srinivasan (823).
73. Shri R. P. Paweri (831).
74. Shri K. K. Chopra (832).
75. Shri R. K. Bhargava (833).
76. Shri Madan Mohan (834).
77. Shri A. N. Krishnan (836).
78. Shri K. N. Sampath (837).
79. Shri T. R. Talwar (839).
80. Shri R. Suryanarayanan (841).
81. Shri S. C. Dhawan (899).
82. Shri N. K. Bhandari (904).
83. Shri V. S. Bhanot (912).
84. Shri Ram Phal Rana (919).
85. Shri Ram Narain Datta (926).
86. Shri R. Kannan (935).
87. Shri C. Krishnamoorthy (973).
88. Shri N. C. Nair (974).
89. Shri C. S. Menon (985).
90. Shri M. N. Pillai (1001).
91. Shri K. H. N. Babu (1036).
92. Shri S. V. Sharma (1045).
93. Shri S. B. Kulkarni (1060).
94. Shri Shaik Rahmatullah (1064).
95. Shri S. P. Goyal (1096).
96. Shri O. P. Bakshi (1143).
97. Shri P. C. Jain (1145).
98. Shri N. Rama Rao (1195).
99. Shri M. V. Krishna Moorthy (1197).
100. Shri G. Panneerselvam (1199).
101. Shri S. Jayaraman (1204).
102. Shri A. Santhanakrishnan (1207).
103. Shri T. V. Krishnamoorthy (1212).
104. Shri R. Anantharaman (1216).
105. Shri L. Ramaswamy (1217).
106. Shri T. S. Ramachandra Rao (1234).
107. Shri P. Gopalan (1242).
108. Shri R. Venkataramani (1255).
109. Shri R. Sundararajan (1256).
110. Shri T. Vijayan (1315).

Intermediate (Both Groups)

1. Shri M. G. Vasudevan (32).
2. Shri A. D. Chaudhary (247).
3. Shri C. J. Bulsara (271).
4. Shri E. J. Kalwachia (302).
5. Shri R. S. Thirani (468).
6. Shri K. Prasad (500).
7. Shri Suresh Chandra (886).
8. Shri A. M. Chakraborti (908).

9. Shri N. Krishnan Nair (1002).
10. Shri Arun Kumar S. Rao (1052).
11. Shri Kailash Chandra (1113).
12. Shri V. V. Margabandhu (1253).
13. Shri A. Rajan (1280).
14. Shri M. Pandy (1295).
15. Shri T. S. Subramanian (1317).

Final (Group I only)

1. Shri S. D. Wagh (17).
2. Shri V. Ramaratnam (57).
3. Shri S. Krishnamurthy (60).
4. Shri R. K. Agarwala (62).
5. Shri N. H. Iyer (72).
6. Shri K. Rugothaman (130).

Final (Group II only)

1. Shri S. B. Saxena (4).
2. Shri S. Neelakantan (6).
3. Shri P. R. Nair (8).
4. Shri G. B. Kulkarni (25).
5. Shri V. Suriansrayanan (29).
6. Shri J. D. Kapadia (34).
7. Shri K. V. G. Nair (35).
8. Shri I. K. Viswanathan (36).
9. Shri N. C. Chatterjee (41).
10. Shri B. B. Virmani (77).
11. Shri J. K. Gabrani (82).
12. Shri T. K. B. Venkataraman (84).
13. Shri V. K. Jain (86).
14. Shri Girish Chand (89).
15. Shri K. T. Ravi Varma (90).
16. Shri S. L. Sharma (91).
17. Shri R. Pattabiraman (92).
18. Shri P. Sundarsanam (94).
19. Shri R. Sethuraman (106).
20. Shri D. S. Krishnamurti (109).
21. Shri D. S. M. M. Prasad Rao (110).
22. Shri K. V. Subbarayudu (111 .
23. Shri K. V. Rao (112).
24. Shri V. Raghunathan (114).
25. Shri N. L. Bhatia (117).
26. Shri B. Natarajan (134).
27. Shri J. Krishnamurthy (136).
28. Shri V. N. Murlidaran (139).
29. Shri A. S. Ganesan (140).
30. Shri T. Frank (143).

Final (Both Groups)

1. Shri S. K. Tuteja (93).
2. Shri P. K. Sharma (146).

(Sd.) ILLEGIBLE, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY & SUPPLY

(Department of Industry)

RESOLUTION

New Delhi, the 18th November 1965

No. 16(10)/64-*EI(M)*.—In the erstwhile Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering's Resolution of even number dated the 16th April 1964, as amended from time to time, the following shall be substituted for the existing entries against items (1) to (13) under the heading 'The Panel will consist of the following' :—

Chairman

1. Iron & Steel Controller, Calcutta.

Vice-Chairman

2. Mr. C. E. Cargin, Director, Jessop & Co. Ltd., Calcutta.

Members

3. Shri J. S. Mathur, Dy. Director General of Supplies & Disposals, Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.
4. Shri R. M. Sambamoorthy, Joint Director, (Track), Railway Board, New Delhi.
5. Shri K. K. Mitra, General Manager, M/s. BBJ Construction Co., 12-Mission Row, Calcutta.
6. Shri B. V. Shah, Chief Executive, M/s. Alock Ashdown Co. Ltd., Bombay.
7. Shri G. Srirangachary, General Manager, M/s. Southern Structurals Ltd., GDC Building, Cathedral Road, Madras.
8. Shri N. Krishnaswami, Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, New Delhi.
9. Shri S. L. Saxena, M/s. Central India Machinery Mfg. Co. Ltd., Bharatpur.
10. Shri F. V. Badami, Development Officer, Directorate General of Technical Development, New Delhi.
11. Shri V. Subramaniam, Chief Sales Manager, Hindustan Steel Ltd.,
12. Shri A. H. Sethna, Sales Manager, Tata Iron and Steel Co. Ltd.
13. Shri A. K. Gupta, Indian Iron & Steel Co., Calcutta.
14. Shri S. F. Braganza, Managing Director, Hindustan Steel Works, Construction Ltd., Calcutta.
15. Shri P. R. Nayak, Deputy Secretary, Ministry of Industry and Supply, Department of Industry, New Delhi.

Member-Secretary

16. Shri A. C. Chatterjee, Jt. Director, Iron and Steel and *Ex-Officio*, Dy. Iron & Steel Controller.

P. R. NAYAK, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi, the 14th December 1965

No. 2-2/65-FAME.—In Resolution No. F. 6-16/60-CE dated the 6th September 1960, as amended from time to time the Government of India had set up a National Campaign Committee and a Governing Board to plan participation in the world-wide Freedom From Hunger Campaign launched by the F.A.O. of the United Nations. This campaign which was originally intended to remain operative for a period of 5 years ending December 31 1965, has now been extended for a further period of 5 years to coincide with the U.N. Development Decade. In the light of experience gained and with a view to making the movement more closely identified with non-government endeavour, the Government of India have decided to re-constitute the National Campaign Committee and its Governing Board as follows :—

Composition of the National Campaign Committee

1. Patron-in-Chief—President of India.
2. Patron—Vice-President of India.
3. President—Minister of Food & Agriculture.
4. Executive President—Dy. Minister for Agriculture.

Members

1. Dy. Minister for Food.

2–16. State Ministers of Agriculture.

17–29. Nominees of 13 non-governmental organisations concerned with rural development.

30–35. Nominees of 6 non-governmental organisations/bodies operating in urban areas.

36–39. Nominees of 4 industrial and commercial organisations.

40–42. Nominees of 3 press/Information organisations.

Local Representatives of Foreign and International Organisations

43. FAO of the United Nations.
44. UNICEF.
45. UNESCO.
46. World Food Programme.
47. Rockfeller Foundation.
48. Ford Foundation.
49. USAID.
50. World Health Organisation.

51–57. Seven persons (non-officials) nominated in their personal capacity.

58–69. Nominees of Union Ministries of Finance, Information and Broadcasting, Health and Education; Departments of Food, Cooperation and Community Development; the Planning Commission; Director-General, National Cadet Corps; Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore; and Director, Nutrition Research Laboratory, Hyderabad.

Officials of Department of Agriculture

70–79. Secretary, Special Secretary, Director General, I.A.A., Director General, ICAR, and Joint Secretary (Adm.); Agricultural Commissioner, Animal Husbandry Commissioner and Extension Commissioner; and Economic & Statistical Adviser, and Deputy Secretary (Foreign Aid).

80. Deputy Principal Information Officer attached to the Department of Agriculture.

81. Chairman Agricultural Prices Commission.

The Deputy Secretary (foreign aid) and Accounts Officer (fertilizer) of the Department of Agriculture will act as Member-Secretary and Treasure respectively.

Composition of the Governing Board

Chairman

Dy. Minister for Agriculture & Executive President of the National Campaign Committee.

Members

1–12. Nominees of 12 non-Governmental organisations concerned with the rural development or operating in rural areas.

13–14. Nominees of 2 non-governmental organisations operating in urban areas.

15–17. Nominees of 3 industrial and commercial organisations.

18–19. Nominees of two press organisations.

Representatives of International Organisations

20. FAO of the United Nations.
21. UNICEF.
22. UNESCO.
23. World Food Programme.

24–30. 7 persons (non-official) nominated in their personal capacity.

31–36. Secretaries of the State Campaign Committees (by rotation).

37–43. Nominees of Ministry of Education, Department of Community Development and Food, Planning Commission, All India Radio, Director General, National Cadet Corps and the Director, C.F.T.R.I., Mysore.

Nominees of the Department of Agriculture

44. Secretary, Department of Agriculture.
45. Director-General, I.A.A.
46. Joint Secretary (Admn.).
47. Extension Commissioner.
48. Dy. Principal Information Officer.
49. Chairman, Agricultural Prices Commission.
50. Dy. Secretary (FA)—Member-Secretary of the National Campaign Committee and the Governing Board.

The Governing Board will function as the main executive body of the National Campaign Committee. The National Campaign Committee and its Governing Board may appoint such Committees or sub-committees as they may consider appropriate from time to time. The National Campaign Committee and its Governing Board may hold their meetings as often as necessary and submit the report of the progress made from time to time to the Government of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all State Governments, Lok Sabha Secretariat, Rajya Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, the Private and Military Secretaries to the President, the Cabinet Secretariat, the Vice President's Secretariat, the Prime Minister's Secretariat, all Ministries of the Government of India, Planning Commission, the Auditor General of India and all Organisations connected with the FFHC.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

*

(I.C.A.R.)

RESOLUTION

New Delhi-1, the 17th December 1965

No. 6-7/65-Reorgn.(CC).—The Second Joint Indo-American Team, appointed in 1959, to review the position of Agricultural Education, Research and Extension in India, recommended that in the interest of consolidating the Central Agricultural Research Programme and assuring adequate coordination, all Central Institutes and Commodity Committees should be brought under the full technical and administrative control of the Indian Council of Agricultural Research. This recommendation was strongly supported by the Agricultural Research Review Team, appointed in 1963. The Government of India have examined the above recommendations in the light of the actual functioning of the Central Commodity Committees during the past years and recently decided that the Commodity Committees should be abolished and the research work being conducted by them be integrated with the Indian Council of Agricultural Research, which should be suitably reorganised and strengthened, so as to enable it to develop and administer a National Programme of Agricultural Research, commensurate with the needs of the country. Accordingly, the Indian Central Jute Committee was dissolved on 30th September 1965, and its research activities (including the administrative control of the jute research institutes and stations) have been assumed by the Indian Council of Agricultural Research, with effect from 1st October 1965.

2. The Government of India have taken over the development and marketing functions handled by the Committee. In order to continue the association of the various official and non-official interests with the development of jute and have the benefit of their continued advice, the Government of India have decided to constitute an Indian Jute Development Council. To begin with, the Council will consist of the following :—

Chairman

1. Shri Dinesh Kumar Singh, M.L.C., Kursela Estate, P.O. Ajodhyaganj Bazar, Purnea (Bihar).

Vice-Chairman

2. The Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture.

Members

3. (a) *Representatives of the Central and State Governments* :

(1) One representative each of the State Department of Agriculture to be nominated by the Governments of
  (i) West Bengal.
  (ii) Assam.
  (iii) Bihar.
  (iv) Orissa; and
  (v) Chief Secretary, Tripura Administration.

(2) One representative of the Planning Commission.

(3) Agricultural Commissioner with the Government of India.

(4) Jute Commissioner, Ministry of Commerce.

(b) *Growers representatives* :

(1) Shri Basudeo Prasad Sinha, M.L.A., Village Jhiktia, P.O. Gurubazar, Dist. Purnea (Bihar), (Flat No. 70, Gardinar Road, Patna).

(2) Shri Yogeshwar Jha, Old Dak Banglow Road, Murligaunj, Saharsa (Bihar), (Bihar Provincial Congress Committee, Sadaquat Ashram, Patna).

(3) Shri Raghunath Mishra, Secretary, Danapur Jute Growers' Cooperative Society, P.O. Danapur, Dist. Cuttack (Orissa).

(4) Shri Khalilur Rahaman, P.O. Nischiatakoily, Cuttack (Orissa).

(5) Shri Rabindra Nath Sen Gupta, B.Ag., Village Kamdebkathi, P.O. Kalsur, 24-Parganas, West Bengal.

(6) Shri Satyendra Nath Chowdhury, B.A., B.T., P.O. Karimpore, Dist. Nadia, West Bengal.

(7) Shri Mohammad Israel, M.L.A., Village Barua, P.O. Beldanga, Dist. Murshidabad, West Bengal.

(8) Shri Subodh Chandra Mukherjee, B.Sc., Village Bergoon, P.O. Gobardanga, Dist. 24-Parganas, West Bengal.

(9) Shri L. Laxmanadoss, B.Com., M.L.A., Pathapatam, Dist. Srikakulam, Andhra Pradesh.

(10) Shri Mahadev Das, M.L.A., P.O. Barpeta, Dist. Kamrup, Assam.

(11) Shri Md. Umaruudin, B.A., M.L.A., Bilashipara, P.O. Dhubri, Dist. Goalpara, Assam.

(12) Shri Md. Idris, M.L.A., P.O. Nowgong, Assam.

(c) *Representatives of Trade and Industry* :

(1) Dr. B. P. Kedia, M/s. Anderson Wright Ltd., 7, Wellesley Place, Calcutta.

(2) Shri C. L. Bajoria, M/s. Mcleod & Co., Mcleod House, 3, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.

(3) Shri A. P. Jain, M/s. Sahu Jain Ltd., 11, Clive Row, Calcutta.

(4) Shri R. P. Goenka, M/s. Duncan Bros. Ltd., 31, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.

(5) Shri N. K. Jalan, M/s. Soorajmull Nagarmull, 8, Dalhousie Square East, Calcutta-1.

(6) Shri Champalal Baid, M/s. Hamirmull Champalal, 2 Raja Woodmunt Street, Calcutta.

(d) *Others* :

(1) Shri Satish Chandra Samanta, M.P., P.O. Tamluk, Dist. Midnapur, West Bengal. (7, Electric Lane, New Delhi).

(2) Shri Phani Gopal Sen, M.P., Mohalla-Bhatta, P.O. & Dist. Purnea, Bihar. (40, North Avenue, New Delhi.)

(3) Shri P. C. Mitra, M.P. Sarada Babu Street, Ranchi (Bihar). (117, North Avenue, New Delhi.)

(4) Shri Anirudha Sinha, Station Road, P.O. Laheria Sarai, Darbhanga, Bihar.

(5) The Registrar of Cooperative Societies, 8, Lyons Range, Calcutta.

(e) Such additional persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India, to represent interests not already represented in the Council.

Member-Secretary

4. Deputy Secretary or any other Officer dealing with the crop in the Ministry of Food & Agriculture (Department of Agriculture).

Observers

5. (Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

(1) Agriculutral Marketing Adviser, Ministry of Food and Agriculture.

(2) Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Food and Agriculture.

(3) Economic & Statistical Adviser, Ministry of Food and Agriculture.

(4) Chairman, State Trading Corporation.

(5) A representative of Railways.

(6) A representative of the National Agricultural Cooperative Marketing Federation.

(7) Director, Jute Agricultural Research Institute, Barrackpore.

(8) Director, Technological Research Laboratories, Tollygunge.

(9) Special Officer (Jute), Indian Council of Agriculture Research.

3. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) to consider, from time to time, the development programmes formulated by the Central and State Governments in respect of jute and allied fibres;

(ii) to consider the review the progress of jute development in the context of targets laid down;

(iii) to recommend measures for accelerating the tempo of development programmes/schemes, wherever necessary;

(iv) to suggest special schemes for improving the quality of jute and allied fibres and to scrutinise the progress of schemes sanctioned therefor;

(v) to make an appraisal of the prevailing prices for jute and other allied fibres in producing centres and to recommend measures for stabilisation of prices;

(vi) to take stock of the movement of jute and allied fibres from the producing to marketing centres and to make suggestions for removal of bottlenecks, if any, in this regard; and

(vii) any other function, which may from time to time, be assigned by the Government of India to the Council.

4. The Council will meet periodically in important centres of trade and industry, in areas in which jute is grown and will make its recommendations to the Government of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. SIVARAMAN, Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

(ARCHAEOLOGY)

New Delhi, the 14th December 1965

No. F. 11-11/65.C.1.—In partial modification of this Ministry Notification No. F. 11-3/64.C.1. dated the 1st August 1965, Shri Durgalal Mathur officiating Superintendent of Archaeology and Museums, Udaipur has been appointed as a member of the Central Advisory Board of Archaeology as a representative of the Government of Rajasthan in place of Shri R. C. Agarwal.

SHARDA RAO (Mrs.), Asstt. Educational Adviser.

MINISTRY OF REHABILITATION

RESOLUTION

New Delhi-11, the 8th December 1965

SUBJECT :—*Constitution of the Displaced Persons Relief and Welfare Fund.*

No. 4(3)/65-*J&KR.*—Requests have frequently been received in the past in the Ministry of Rehabilitation from migrants from Pakistan in distress and in need of financial assistance for maintenance, medical treatment, education etc. Similar requests are now being received from persons displaced from border areas as a result of recent hostilities with Pakistan. Many of these cases are deserving of help but sometimes it is not possible to render this help out of Government funds. It has, therefore, been decided to constitute a fund called "The Displaced Persons Relief & Welfare Fund" which will be built up from public donations.

The fund will cater for the needs of migrants from Pakistan, persons of India origin who are repatriated from foreign countries and the Indian nationals displaced from border areas during the recent hostilities with Pakistan. The Fund will also extend its services to persons similarly affected in future.

The Fund will be administered by a Board of trustees consisting of the following :—

(1) Minister for Rehabilitation.

(2) Deputy Minister for Rehabilitation.

(3) Secretary, Ministry of Rehabilitation.

(4) Additional Secretary, Ministry of Rehabilitation.

(5) Joint Secretary, Ministry of Finance, (Rehabilitation).

Donation from the public will be gratefully accepted.

A current account has been opened with the State Bank of India, New Delhi under the name of the Displaced Persons Relief & Welfare Fund. The account will be operated over the signature of either the Minister for Rehabilitation or an Officer of the Ministry of Rehabilitation Specially designated for the purpose.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. P. MATHRANI, Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 13th December 1965

*No. WB-*21(19)/64.—Shri R. S. Pandit relinquished charge of the post of the Assistant Secretary, Central Wage Board for Port and Dock Workers, Bombay, with effect from the afternoon of the 30th November 1965.

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965.